न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठांसीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 75/2015

अपीलान्ट

मसराराम पुत्र हंसाजी
जैसाराम पुत्र हंसाजी जातिगण नाई निवासीगण रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. बादली बहन पत्नि हीराराम जाति जोशी निवासी रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा
2. नेमीचन्द पुत्र केवलचन्द शाह जाति जैन निवासी रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा
3. योगेश कुमार पुत्र प्रवीण कुमार शाह जाति जैन निवासी मालवाड़ा, तहसील रानीवाडा
4. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा
5. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा रानीवाडा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री निखिल कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री संजय खान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
श्री राजेन्द्र कच्छावा, विद्वान अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3

–: निर्णय :–

दिनांकः– 13.12.17

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद संख्या 20/2014 में उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.11.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत वाद प्रस्तुत कर संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही प्रारम्भ की तथा अपीलाण्ट संख्या 1 का जवाब बन्द किया गया एवं अपीलाण्ट संख्या 2 की एक तरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 05.11.2015 को जैर अपील आदेश एवं प्रारम्भिक डिक्री जारी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

की। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्ष का जवाब बन्द होने की स्थिति में मात्र तनकीयात नही बनती, किन्तु साक्ष्य आवश्यक है, प्रतिरक्षा का अवसर बन्द नही होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त भूमि मौके पर विभाजित होना बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, किन्तु किस खसरे पर किसका कब्जा आदि है, इसके निर्धारण हेतु नक्शा आदि प्रस्तुत नही किया। कुंआ खुदा होना बताया, जो सह खातेदारी में होने के कारण सभी के हक हिस्से में आता है, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलाण्ट को सिंचाई के अधिकार से महरूम करने की नियत से विधि विरूद्ध रूप से प्रकरण डिक्री करवाना चाहते है। जब वाद ही कब्जे के आधार पर प्रस्तुत किया गया हो, तो बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कैसे हो सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की जांच किये बिना एवं विभाजन के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना ही जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जो विधि सम्मत नही है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी सह खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट एवं अन्य पक्षकारों को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट को जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया, किन्तु इसके बावजूद भी उनके द्वारा किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही करने पर उनके जवाब के अवसर को बन्द किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित करते हुए प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई। उक्त निर्णय की पालना में जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई, वह अपीलाण्ट की उपस्थिति में तैयार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही हैं। अतः अपील खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन कराने का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 व 2, जो इस अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 संयोजित है, ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद को माफिक अनुतोष डिक्री किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नही होना जाहिर किया। अपीलाण्ट संख्या 2 बावजूद सम्मन तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलाण्ट संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलाण्ट संख्या 1 की ओर से दिनांक 29.06.2015 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। इसके पश्चात अपीलाण्ट संख्या 1 को जवाबदावा प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया, इसके बावजूद उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण जवाबदावा का अवसर बन्द कर दिनांक 05.11.2015 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट्स को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के समुचित अवसर प्रदान किये गये है। इसके अतिरिक्त अन्य पक्षकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संयोजित थे, ने इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया। इस प्रकार प्रकरण में कोई विवाद बिन्दु विद्यमान नही होने के कारण प्रकरण विशुद्ध रूप से निर्णय योग्य था, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नही होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व वाद संख्या 20/2014 में उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.11.2015 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली